

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 1. | विभाग                    | दिव्यांगजन सशक्तिकरण  |
| 2. | योजना का नाम –           | यू0पी0एस0आर0टी0 की बसों में निःशुल्क यात्रा   |
| 3. | योजना संक्षिप्त टिप्पणी– | 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगजन उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत से ऊपर है उनको एक सहवृत्ति भी दिये जाने का प्राविधान है। |
| 4. | पात्रता की अर्हता–       | 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगजन   |
| 5. | आवेदन की प्रक्रिया–      | परिवहन निगम की बसों में परिचालक को मात्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिखाने पर निःशुल्क यात्रा की जाती है।  |
| 6. | लिंक वेबसाईट             | <a href="http://sspy-up.gov.in/">http://sspy-up.gov.in/</a>   |
| 7. | सम्पर्क सूत्र            | अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अथवा उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।                                 |